भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2544

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च , 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

बैंकिंग अभिकर्ताओं और डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की प्रभावशीलता

2544. श्री दुलू महतो:

श्रीमती हिमाद्री सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्र वित्तीय योजनाओं में बैंकिंग अभिकर्ताओं के रूप में व्यक्तियों के नामांकन के लिए विशेष अभियान के तहत हाशिए पर पड़े समूहों को शामिल करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) वित्तीय सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग अभिकर्ताओं और डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) उन क्षेत्रों और राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां नामांकन दर कम है; और

(घ) सरकार, ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों या राज्यों, विशेष रूप से झारखंड में कम नामांकन दरों का किस प्रकार समाधान करने की योजना बना रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 01.07.2014 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) की सहायता से वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। बैंक अपने निदेशक मंडल की मंजूरी से बीसी को नियुक्त करने की नीति तैयार करते हैं। तदनुसार, बैंकिंग सेवा वितरण प्रणाली में आखिरी छोर तक संपर्क का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 13.99 लाख बीसी का एक सशक्त नेटवर्क देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लेनदेन को सुविधाजनक बना रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में, बीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। इनमें लेनदेन सेवाएं, पीएमजेडीवाई खाते खोलना, जमा संग्रहण, ऋण लीड, एनपीए वसूली, माइक्रो बीमा, आवर्ती जमा आदि शामिल हैं तथा बीसी द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन के लिए उन्हें कमीशन दिया जाता है। साथ ही, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने बैंकों एवं भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) के परामर्श से बीसी एजेंटों को उचित व्यवहार अनुकूलन और कौशल प्रदान करने हेतु स्थानीय भाषा(ओं) में उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार, समग्र भारत में कार्य कर रहे व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) की कुल संख्या **अनुलग्नक-1** में दी गई है।

डिजिटल बैंकिंग इकाई (डीबीयू) एक कागज रहित, कार्यक्षम, सुरक्षित तथा संरक्षित वातावरण में डिजिटल मोड/चैनल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा तथा जनता को निर्बाध एवं कार्यक्षम तरीके से वित्तीय उत्पाद उपलब्ध होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 07.04.2022 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीबीयू डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ ग्राहकों को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं, ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, विदेशी और लघु वित्त बैंकों सहित 27 बैंकों द्वारा देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए 102 जिलों में 107 डीबीयू स्थापित किए गए हैं।

(घ): बैंक अपने निदेशक मंडल की मंजूरी से बीसी नियुक्ति की नीति तैयार करते हैं। हालांकि, सरकार द्वारा समय-समय पर बीसी के कामकाज और पारिश्रमिक, प्रशिक्षण, दंड, प्रमाणन, तैनाती क्षमता सृजन आदि सहित विभिन्न अन्य पहलुओं की निगरानी की जाती है। तदनुसार, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे उन सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जो व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार, झारखंड राज्य में कुल 44,023 बीसी कार्यरत हैं।

*****

अनुलग्नक -1

दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) की संख्या	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**बीसी की संख्या**
अंडमान और निकोबार	27
आंध्र प्रदेश	39,562
अरुणाचल प्रदेश	1,311
असम	28,381
बिहार	218,165
चंडीगढ़	242
छत्तीसगढ़	50,811
दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव	501
दिल्ली	12,488
गोवा	1,158
गुजरात	41,292
हरियाणा	21,657
हिमाचल प्रदेश	4,929
जम्मू और कश्मीर	3,264
झारखंड	44,023
कर्नाटक	56,607
केरल	9,380
लद्दाख	164
लक्षद्वीप	3
मध्य प्रदेश	168,274
महाराष्ट्र	99,006
मणिपुर	1,388
मेघालय	1,560
मिजोरम	588
नागालैंड	509
ओडिशा	32,833
पुदुचेरी	274
पंजाब	18,743
राजस्थान	66,793
सिक्किम	170
तमिलनाडु	32,526
तेलंगाना	38,180
त्रिपुरा	2,248
उत्तर प्रदेश	333,641
उत्तराखंड	7,177
पश्चिम बंगाल	61,076
कुल	**1,398,951**

स्रोत : जन-धन द्रशक ऐप पर बैंकों द्वारा दी गई रिपोर्ट